रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3156] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 9, 2018/श्रावण 18, 1940
No. 3156] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 9, 2018/ SHRAVANA 18, 1940

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण् विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 2018

का. आ. 3951(अ).—जबकि पूर्व के कृषि और सहकारिता विभाग में केन्द्रीय सरकार ने भारत में रजस्ट्रीकृत नीयो-निकोटीनोईड कीटनाशियों के उपयोग को जारी रखने अथवा अन्यथा की समीक्षा के लिए 8 जुलाई, 2013 को एक विशेषज्ञ समिति गठित की थी और ऐसे छियासठ कीटनाशियों, जिनका भारत में घरेलू उपयोग के लिए रजिस्ट्रीकरण जारी है, परन्तु अन्य देशों में प्रतिबंधित और निर्बंधित अथवा वापस ले लिए गए हैं, की समीक्षा करने के लिए 19 अगस्त, 2013 को इस समिति के अधिदेश का दायरा बढ़ाया गया जिसने विस्तृत जांच के बाद 09 दिसम्बर, 2015 केन्द्र सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की;

और जबकि, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 5 के अधीन गठित रजिस्ट्रीकरण समिति ने उसकी विशेष बैठक में रिपोर्ट पर विचार- विमर्श किया था और अपने कार्यवृत में केंद्र सरकार को अपनी टिप्पणी प्रस्तुत की थी;

और जबकि, केंद्रीय सरकार, उक्त विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् और रजस्ट्रीकरण समिति के साथ परामर्श के पश्चात् समाधान है कि इस अधिसूचना की अनुसूची में विनिर्दिष्ट अठारह कीटनाशियों के उपयोग से मानव और पशुओं को जोखिम होने की संभावना है, इस कारण से तुरंत कार्रवाई करना समीचीन और आवश्यक है;

और जबकि, प्रारुप आदेश, जिसे केंद्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 27 की उप-धारा 2 के साथ पठित धारा 28 और धारा 36 की उप-धारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग), भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का.आ. 4212 (अ), तारीख 15 दिसम्बर, 2016 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (ii) के माध्यम से प्रकाशित किया गया था जिसमें इससे प्रभावित होने वाले संभावित सभी लोगों से सुझाव या आपत्तियां मांगी गई थी, जो उपरोक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां लोगों को उपलब्ध कराने के पैतालिस दिन पूर्व मांगी गई थी;

और जबकि, उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां लोगों को 28 दिसम्बर, 2016 को उपलब्ध कराई गई थी;

और जबकि, उक्त अधिसूचना से संबंधित आपत्तियों और सुझावों पर विचार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था जिसने सभी आपत्तियों और सुझाव पर विचार करने के पश्चात तारीख 16 जुलाई, 2018 को केन्द्र सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

अतः अब, केंद्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 28 के साथ पठित धारा 27 में दी गई शक्तियों का उपयोग करते हुए, विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर विचार करते हुए निम्न आदेश करती है अर्थात:-

आदेश

1. लघु शीर्षक और प्रारम्भ (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम कीटनाशी (प्रतिषेध) आदेश, 2018 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होगा।

2. कतिपय कीटनाशियों का प्रतिषेध :-

(1.) कोई व्यक्ति इस आदेश की अनुसूची के स्तंभ (2) के अधीन विनिर्दिष्ट कीटनाशियों का उसके स्तंभ (3) के तहत विनिर्दिष्ट तारीख से विनिर्माण, आयात, सूत्रीकरण, परिवहन, विक्रय, उपयोग नहीं करेगा।

(2.) रजिस्ट्रीकरण समिति उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट कीटनाशियों के लिए प्रदान किए गए रजस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र को वापस ले सकेगी।

(3.) यदि कोई व्यक्ति जो रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र धारण करता है, तीन मास की अवधि के भीतर, उप पैरा (2) में निर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण समिति को वापस करने में असफल रहता है, उक्त अधिनियम में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन कार्रवाई की जाएगी।

(4.) उक्त अधिनियम की धारा 9 के अधीन प्रदत्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट कीटनाशियों के लिए पंजीकरण का प्रमाण-पत्र उक्त अनुसूची के स्तंभ (3) के तहत तारीख से रद्द किया गया समझा जाएगा।

(5.) प्रत्येक राज्य सरकार उक्त अधिनियम और इसके अधीन बनाये गए नियमों के उपबंधों के अधीन ऐसे सभी कदम उठायेगी जिन्हें वह राज्यों में इस आदेश के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक समझे।

IndiaCode

अनुसूची

[पैरा 2 देखिए]

(प्रतिषिद् कीटनाशियों की सूची)

क्र.स.	कीटनाशी (कीटनाशियों) का नाम	केन्द्र सरकार का निर्णय
(1)	**(2)**	**(3)**
1.	बेनोमाइल	इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से रजस्ट्रीकरण, आयात, विनिर्माण, सूत्रीकरण, परिवहन और विक्रय प्रतिबंधित किया जाता है और इसका उपयोग पूर्णत: निषिद्ध किया जाता है।
2.	कार्बराइल	इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से रजस्ट्रीकरण, आयात, विनिर्माण, सूत्रीकरण, परिवहन और विक्रय प्रतिबंधित किया जाता है और इसका उपयोग पूर्णत: निषिद्ध किया जाता है।
3.	डायजिनोन	इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से रजस्ट्रीकरण, आयात, विनिर्माण, सूत्रीकरण, परिवहन और विक्रय प्रतिबंधित किया जाता है और इसका उपयोग पूर्णत: निषिद्ध किया जाता है।
4.	फेनारिमोल	इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से रजस्ट्रीकरण, आयात, विनिर्माण, सूत्रीकरण, परिवहन और विक्रय प्रतिबंधित किया जाता है और इसका उपयोग पूर्णत: निषिद्ध किया जाता है।
5.	फेंथिओन	इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से रजस्ट्रीकरण, आयात, विनिर्माण, सूत्रीकरण, परिवहन और विक्रय प्रतिबंधित किया जाता है और इसका उपयोग पूर्णत: निषिद्ध किया जाता है।
6.	लिनुरोन	इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से रजस्ट्रीकरण, आयात, विनिर्माण, सूत्रीकरण, परिवहन और विक्रय प्रतिबंधित किया जाता है और इसका उपयोग पूर्णत: निषिद्ध किया जाता है।

7.	मेथोक्सी ईथाइल मरकरी क्लोराइड	इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से रजस्ट्रीकरण, आयात, विनिर्माण, सूत्रीकरण, परिवहन और विक्रय प्रतिबंधित किया जाता है और इसका उपयोग पूर्णत: निषिद्ध किया जाता है।
8.	मिथाईल पैराथिओन	इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से रजस्ट्रीकरण, आयात, विनिर्माण, सूत्रीकरण, परिवहन और विक्रय प्रतिबंधित किया जाता है और इसका उपयोग पूर्णत: निषिद्ध किया जाता है।
9.	सोडियम सायनाईड	इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से केवल कीटनाशकीय उद्देश्य के लिए इसका रजस्ट्रीकरण, आयात, विनिर्माण, सूत्रीकरण, परिवहन, विक्रय और उपयोग पूर्णत: निषिद्ध किया जाता है।
10.	थियोमेटोन	इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से रजस्ट्रीकरण, आयात, विनिर्माण, सूत्रीकरण, परिवहन और विक्रय प्रतिबंधित किया जाता है और इसका उपयोग पूर्णत: निषिद्ध किया जाता है।
11.	ट्राईडेमोर्फ	इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से रजस्ट्रीकरण, आयात, विनिर्माण, सूत्रीकरण, परिवहन और विक्रय प्रतिबंधित किया जाता है और इसका उपयोग पूर्णत: निषिद्ध किया जाता है।
12.	ट्राईफ्लूरेलिन	(i) इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से रजस्ट्रीकरण, आयात, विनिर्माण, सूत्रीकरण, परिवहन, और विक्रय प्रतिबंधित किया जाता है और गेहूं में उपयोग के अलावा इसका सभी प्रकार का उपयोग पूर्णत: निषिद्ध किया जाता है। (ii) लेबल और पत्रक पर एक चेतावनी कथन समाविष्ट होगा कि यह जलीय जीव के लिए विषैला है इसलिए जल निकायों, जलीय कृषि, मछली की खेती के पास इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।
13.	अलाक्लोर	(i) इस आदेश के प्रकाशन के पश्चात विनिर्माता को नया रजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा। (ii) कोई व्यक्ति 1 जनवरी, 2019 से अलाक्लोर का आयात, विनिर्माण या सूत्रीकरण नहीं करेगा। (iii) अलाक्लोर का उपयोग 31 दिसंबर, 2020 से पूर्णत: प्रतिबंधित होगा। (iv) यह जलीय जीव के लिए विषैला है इसलिए लेबल और पत्रक पर एक चेतावनी कथन समाविष्ट होगा कि "यह जलीय जीव के लिए विषैला है इसलिए जल निकायों, जलीय कृषि, मछली की खेती के पास इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए"।
14.	डाईक्लोरोवस	(i) इस आदेश के प्रकाशन के पश्चात विनिर्माता को नया रजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा। (ii) कोई व्यक्ति 1 जनवरी, 2019 से डाईक्लोरोवस का आयात, विनिर्माण या सूत्रीकरण नहीं करेगा। (iii) डाईक्लोरोवस का उपयोग 31 दिसंबर, 2020 से पूर्णत: प्रतिबद्धित होगा। (iv) यह जलीय जीव के लिए विषैला है इसलिए लेबल और पत्रक पर एक चेतावनी कथन समाविष्ट होगा कि यह जलीय जीव के लिए विषैला है इसलिए जल निकायों, जलीय कृषि, मछली की खेती के पास इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। (v) लेबल और पत्रक पर एक चेतावनी कथन समाविष्ट किया जा सकेगा कि उत्पाद मधुमक्खियों के लिए विषैला है इसलिए सक्रिय मधुमक्खी फोरेजिंग अवधि के दौरान छिड़काव नहीं करे।

IndiaCode

15.	फोरेट	(i) इस आदेश के प्रकाशन के पश्चात विनिर्माता को नया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा। (ii) कोई व्यक्ति 1 जनवरी, 2019 से फोरेट का आयात, विनिर्माण या सूत्रीकरण नहीं करेगा। (iii) फोरेट का उपयोग 31 दिसंबर, 2020 से पूर्णत: प्रतिबद्धित होगा। (iv) यह जलीय जीव के लिए विषैला है इसलिए लेबल और पत्रक पर एक चेतावनी कथन समाविष्ट होगा कि यह जलीय जीव के लिए विषैला है इसलिए जल निकायों, जलीय कृषि, मछली की खेती के पास इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। (v) लेबल और पत्रक पर एक चेतावनी कथन समाविष्ट किया जा सकेगा कि उत्पाद मधुमक्खियों के लिए विषैला है इसलिए सक्रिय मधुमक्खी फोरेजिंग अवधि के दौरान छिड़काव नहीं करे। (vi) लेबल और पत्रक पर एक चेतावनी कथन समाविष्ट होगा कि यह उत्पाद चिड़ियों के लिए विषैला है।
16.	फोस्फामिडोन	(i) इस आदेश के प्रकाशन के पश्चात विनिर्माता को नया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा। (ii) कोई व्यक्ति 1 जनवरी, 2019 से फोस्फामिडोन का आयात, विनिर्माण या सूत्रीकरण नहीं करेगा। (iii) फोस्फामिडोन का उपयोग 31 दिसंबर, 2020 से पूर्णत: प्रतिबद्धित होगा। (iv) यह जलीय जीव के लिए विषैला है इसलिए लेबल और पत्रक पर एक चेतावनी कथन समाविष्ट होगा कि यह जलीय जीव के लिए विषैला है इसलिए जल निकायों, जलीय कृषि, मछली की खेती के पास इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। (v) लेबल और पत्रक पर एक चेतावनी कथन समाविष्ट किया जा सकेगा कि उत्पाद मधुमक्खियों के लिए विषैला है इसलिए सक्रिय मधुमक्खी फोरेजिंग अवधि के दौरान छिड़काव नहीं करे। (vi) लेबल और पत्रक पर एक चेतावनी कथन समाविष्ट होगा कि यह उत्पाद चिड़ियों के लिए विषैला है।
17.	ट्रायाजोफोस	(i) इस आदेश के प्रकाशन के पश्चात विनिर्माता को नया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा। (ii) कोई व्यक्ति 1 जनवरी, 2019 से ट्रायाजोफोस का आयात, विनिर्माण या सूत्रीकरण नहीं करेगा। (iii) ट्रायाजोफोस का उपयोग 31 दिसंबर, 2020 से पूर्णत: प्रतिबद्धित होगा। (iv) यह जलीय जीव के लिए विषैला है इसलिए लेबल और पत्रक पर एक चेतावनी कथन समाविष्ट होगा कि यह जलीय जीव के लिए विषैला है इसलिए जल निकायों, जलीय कृषि, मछली की खेती के पास इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। (v) लेबल और पत्रक पर एक चेतावनी कथन समाविष्ट किया जा सकेगा कि उत्पाद मधुमक्खियों के लिए विषैला है इसलिए सक्रिय मधुमक्खी फोरेजिंग अवधि के दौरान छिड़काव नहीं करे। (vi) लेबल और पत्रक पर एक चेतावनी कथन समाविष्ट होगा कि यह उत्पाद चिड़ियों के लिए विषैला है।
18.	ट्राईक्लोरोफोर्न	(i) इस आदेश के प्रकाशन के पश्चात विनिर्माता को नया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा। (ii) कोई व्यक्ति 1 जनवरी, 2019 से ट्राईक्लोरोफोर्न का आयात, विनिर्माण या सूत्रीकरण नहीं करेगा।

		(iii) ट्राईक्लोरोफोर्न का उपयोग 31 दिसंबर, 2020 से पूर्णत: प्रतिबद्धित होगा। (iv) यह जलीय जीव के लिए बहुत विषैला है इसलिए लेबल और पत्रक पर एक चेतावनी कथन समाविष्ट होगा कि यह जलीय जीव के लिए विषैला है इसलिए जल निकायों, जलीय कृषि, मछली की खेती के पास इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। (v) लेबल और पत्रक पर एक चेतावनी कथन समाविष्ट होगा कि यह उत्पाद चिड़ियों के लिए विषैला है।

[फा.स. 13035/31/2013-पीपी-1 (खंड-2)]

आशीष कुमार भूटानी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE, CO-OPERATION AND FARMERS WELFARE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th August, 2018

S.O. 3951(E).— Whereas the Central Government in the erstwhile Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation constituted an Expert Committee on 8th July, 2013 to examine the continued use of or otherwise of neo-nicotinoid pesticides registered in India and the mandate of the Committee, on 19th August, 2013, was further expanded to review Sixty Six pesticides which are banned or restricted or withdrawn in other countries but continue to be registered for domestic use in India which, after detailed examination submitted its report to the Central Government on the 9th December, 2015;

And whereas the Registration Committee constituted under section 5 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968) deliberated the Report in its special meeting and submitted its observation to the Central Government in its minute;

And whereas, the Central Government, after considering the recommendations of the said Expert Committee and after consultation with the Registration Committee satisfied that the use of eighteen pesticides as specified in the schedule to this Notification are likely to involve risk to human being and animals as to render it expedient or necessary to take immediate action;

And whereas the Draft Order, which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 27 read with section 28 and sub-section (1) of section 36 of the Insecticides Act, 1968 , was published vide notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare (Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare) vide number S.O. 4212(E), dated 15th December, 2016, in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section(ii), dated 28th December, 2016 , inviting objections or suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of forty- five days from the date on which the copies of the Gazette of India containing the said notification were made available to the public;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 28th December, 2016;

And whereas an Expert Committee was constituted by the Central Government to consider the objections and suggestions received in respect of the said notification which after considering all the objections and suggestions submitted its report to the Central Government on the 16th July, 2018;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 27 read with section 28 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), the Central Government after considering the recommendations of the Expert Committee hereby makes the following Order, namely:-

ORDER

1. Short title and commencement. - (1) This Order may be called the Pesticides (Prohibition) Order, 2018

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. Prohibition of certain pesticides. -

(1) No person shall manufacture, import, formulate, transport, sell, use any pesticide specified under column (2) of the Schedule to this Order from the date specified under column (3) thereof.

(2) The Registration Committee shall call back the certificate of registration granted for the pesticides specified in the said Schedule.

(3) If any person, who holds the certificate of registration fails to return the certificate to the Registration Committee, referred to in sub-paragraph (2), within a period of three months, action shall be taken under the provisions contained in the said Act.

(4) The certificate of registration for the pesticides specified in the Schedule granted under section 9 of the said Act shall be deemed to be cancelled from the date under column (3) of the said Schedule.

(5) Every State Government shall take such steps under the said Act and the rules made thereunder, as it considers necessary, for the implementation of this Order in the State.

SCHEDULE

[See paragraph 2]

List of Prohibited Pesticides

S. No.	Name of Pesticides	Decision of the Central Government
(1)	**(2)**	**(3)**
1.	Benomyl	The registrations, import, manufacture, formulation, transport, sell is prohibited and its use is completely banned from the date of publication of this Order.
2.	Carbaryl	The registrations, import, manufacture, formulation, transport, sell is prohibited and its use is completely banned from the date of publication of this Order.
3.	Diazinon	The registrations, import, manufacture, formulation, transport, sell is prohibited and its use is completely banned from the date of publication of this Order.
4.	Fenarimol	The registrations, import, manufacture, formulation, transport, sell is prohibited and its use is completely banned from the date of publication of this Order.
5.	Fenthion	The registrations, import, manufacture, formulation, transport, sell is prohibited and its use is completely banned from the date of publication of this Order.
6.	Linuron	The registrations, import, manufacture, formulation, transport, sell is prohibited and its use is completely banned from the date of publication of this Order.
7.	Methoxy Ethyl Mercury Chloride	The registrations, import, manufacture, formulation, transport, sell is prohibited and its use is completely banned from the date of publication of this Order.
8.	Methyl Parathion	The registrations, import, manufacture, formulation, transport, sell is prohibited and its use is completely banned from the date of publication of this Order.
9.	Sodium Cyanide	The registration, import, manufacture, formulation, transport, sell and its use is completely banned for insecticidal purpose only from the date of publication of this Order.
10.	Thiometon	The registrations, import, manufacture, formulation, transport, sell is prohibited and its use is completely banned from the date of publication of this Order.
11.	Tridemorph	The registrations, import, manufacture, formulation, transport, sell is prohibited and its use is completely banned from the date of publication of this Order.
12.	Trifluralin	(i) The Registration, import, manufacture, formulation, transport, sell and its all uses except use in wheat shall be prohibited and completely banned from date of publication of this Order. (ii) A cautionary statement has to be incorporated in the label and leaflet that it is toxic to aquatic organism, hence should not be used near water bodies, aquaculture or pisciculture area.
13.	Alachlor	(i) No new certificate of registration to manufacture shall be issued after publication of this Order. (ii) No person shall import, manufacture or formulate Alachlor with effect from the 1st January, 2019. (iii) The use of Alachlor shall be completely banned with effect from the 31st December, 2020. (iv) It is toxic to aquatic organism, hence a cautionary statement should be incorporated

		on label and leaflets " toxic to aquatic organism hence should not be used near water bodies, aquaculture or pisciculture area
14.	Dichlorvos	(i) No new certificate of registration to manufacture shall be issued after publication of this Order. (ii) No person shall import, manufacture or formulate dichlorvos with effect from the January, 2019. (iii) The use of dichlorvos shall be completely banned with effect from the 31st December, 2020. (iv) It is very toxic to aquatic organism, hence a cautionary statement should be incorporated on label and leaflets that it is toxic to aquatic organism, hence should not be used near water bodies, aquaculture or pisciculture area. (v) A warning may be incorporated in the label and leaflet stating that this product is toxic to honey bees so do not spray during active honey bees foraging period of the day.
15.	Phorate	(i) No new certificate of registration to manufacture shall be issued after publication of this Order. (ii) No person shall import, manufacture or formulate Phorate with effect from the 1st January, 2019. (iii) The use of Phorate shall be completely banned with effect from the 31st December, 2020. (iv) It is very toxic to aquatic organism, hence a cautionary statement should be incorporated on label and leaflets that it is toxic to aquatic organism, hence should not be used near water bodies, aquaculture or pisciculture area. (v) A warning may be incorporated in the label and leaflet stating that this product is toxic to honey bees so do not spray during active honey bees foraging period of the day. (vi) A cautionary statement should incorporate in label and leaflet that this product is toxic to birds.
16.	Phosphamidon	(i) No new certificate of registration to manufacture shall be issued after publication of this Order. (ii) No person shall import, manufacture or formulate Phosphamidon with effect from the 1st January, 2019. (iii) The use of Phosphamidon shall be completely banned with effect from the 31st December, 2020. (iv) It is very toxic to aquatic organism, hence a cautionary statement should be incorporated on label and leaflets that it is toxic to aquatic organism, hence should not be used near water bodies, aquaculture or pisciculture area. (v) A warning may be incorporated in the label and leaflet stating that this product is toxic to honey bees so do not spray during active honey bees foraging period of the day. (vi) A cautionary statement should incorporate in label and leaflet that this product is toxic to birds.
17.	Triazophos	(i) No new certificate of registration to manufacture shall be issued after publication of this Order. (ii) No person shall import, manufacture or formulate Triazophos with effect from the 1st January, 2019. (iii) The use of Triazophos shall be completely banned with effect from the 31st December, 2020. (iv) It is very toxic to aquatic organism, hence a cautionary statement should be incorporated on label and leaflets that it is toxic to aquatic organism, hence should not be used near water bodies, aquaculture or pisciculture area. (v) A warning may be incorporated in the label and leaflet stating that this product is toxic to honey bees so do not spray during active honey bees foraging period of the day. (vi) A cautionary statement should incorporate in label and leaflet that this product is toxic to birds.
18.	Trichlorfon	(i) No new certificate of registration to manufacture shall be issued after publication of this Order. (ii) No person shall import, manufacture or formulate Trichlorfon with effect from the 1st January, 2019.

		(iii) The use Trichlorfon shall be completely banned with effect from the 31st December, 2020. (iv) It is very toxic to aquatic organism, hence a cautionary statement should be incorporated on label and leaflets that it is toxic to aquatic organism, hence should not be used near water bodies, aquaculture or pisciculture area. (v) A cautionary statement should incorporate in label and leaflet that this product is toxic to birds.

[F. No. 13035/31/2013-PP-I (vol. ii)]

ASHISH KUMAR BHUTANI, Jt. Secy.

IndiaCode

RAKESH SUKUL
Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2018.08.11 14:18:34 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.